न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/106 (प्राथमिक डिकी) **दायरा दिनांक : 09.07.2024**

उनवान

सतेन्द्र प्रकाश उर्फ सत्यनारायण राजोरा आत्मज श्री मूलचन्द जी राजोरा, हाल निवासी 43 सत्यशील भवन, विश्वकर्मा नगर 80 फीट रोड, कोटा (राज०)

.... अपीलांट

बनाम

1. मूलचन्द आत्मज श्री दौलतराम राजोरा हाल निवासी विश्वकर्मा नगर 80 फीट रोड, कोटा (राज०)
2. रामजानकी विधवा तुलसीराम जांगीड़, निवासीगण 89, राजोरा निवास तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
3. भवानीशंकर उर्फ भीमशंकर राजोरा (फोत फरवरी 2024) जर्ये कायम मुकामानः–
   3/1–मंजूबाई विधवा भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
   3/2–उमेश राजोरा आत्मज श्री भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
   3/3–टंडन राजोरा आत्मज श्री भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
4. नरेशचन्द्र राजोरा आत्मज स्व० तुलसीराम राजोरा, निवासी 89,राजोरा निवास छावनी चौराहा कोटा (राज०)
5. कृष्णा पुत्री तुलसीराम विधवा सत्यनारायण जांगीड (गमीरावाले), निवासी रविन्द्र कोलोनी नेनवा, जिला बून्दी (राज०)
6. विष्णुदत्त राजोरा आत्मज तुलसीराम जांगीड, निवासी 89 राजोरा, निवासी छावनी चौराहा कोटा (राज०)
7. विमलेश पुत्री मूलचन्द पत्नी मुकुट बिहारी जांगीड़, निवासी टीचर कोलोनी, केशोपुरा, कोटा (राज०)
8. विजयलक्ष्मी पुत्री मूलचन्द पत्नी प्रहलाद शर्मा, निवासी गोकुलधाम कोलोनी, नीमच, (मध्य प्रदेश)
9. उर्मिला पुत्री मूलचन्द पत्नी रविशंकर अगस्थ (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
   9/1 सोनू अगस्थ आत्मज रविशंकर
   9/2 पवन अगस्थ आत्मज श्री रविशंकर अगस्थ, निवासीगण म० न० 169 महावीर नगर सैकण्ड कोटा (राज०)
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बारां व अन्ता जिला बारां (राज०)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/105 (अंतिम डिकी) **दायरा दिनांक : 09.07.2024**

उनवान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सतेन्द्र प्रकाश उर्फ सत्यनारायण राजोरा आत्मज श्री मूलचन्द जी राजोरा, हाल निवासी 43 सत्यशील भवन, विश्वकर्मा नगर 80 फीट रोड, कोटा (राज०)

.... अपीलांट

बनाम

1. मूलचन्द आत्मज श्री दौलतराम राजोरा हाल निवासी विश्वकर्मा नगर 80 फीट रोड, कोटा (राज०)
2. रामजानकी विधवा तुलसीराम जांगीड़, निवासीगण 89, राजोरा निवास तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
3. भवानीशंकर उर्फ भीमशंकर राजोरा (फोत फरवरी 2024) जर्ये कायम मुकामानः—
   3/1—मंजूबाई विधवा भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
   3/2—उमेश राजोरा आत्मज श्री भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
   3/3—टंडन राजोरा आत्मज श्री भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
4. नरेशचन्द्र राजोरा आत्मज स्व० तुलसीराम राजोरा, निवासी 89,राजोरा निवास छावनी चौराहा कोटा (राज०)
5. कृष्णा पुत्री तुलसीराम विधवा सत्यनारायण जांगीड (गमीरावाले), निवासी रविन्द्र कोलोनी नेनवा, जिला बून्दी (राज०)
6. विष्णुदत्त राजोरा आत्मज तुलसीराम जांगीड, निवासी 89 राजोरा, निवासी छावनी चौराहा कोटा (राज०)
7. विमलेश पुत्री मूलचन्द पत्नी मुकुट बिहारी जांगीड़, निवासी टीचर कोलोनी, केशोपुरा, कोटा (राज०)
8. विजयलक्ष्मी पुत्री मूलचन्द पत्नी प्रहलाद शर्मा, निवासी गोकुलधाम कोलोनी, नीमच, (मध्य प्रदेश)
9. उर्मिला पुत्री मूलचन्द पत्नी रविशंकर अगस्थ (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :—
   9/1 सोनू अगस्थ आत्मज रविशंकर
   9/2 पवन अगस्थ आत्मज श्री रविशंकर अगस्थ, निवासीगण म० न० 169 महावीर नगर सैकण्ड कोटा (राज०)
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बारां व अन्ता जिला बारां (राज०)

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 21.07.2025**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 138/2011 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 12.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बटावदा, तहसील बारां में आराजी खसरा नं. 240 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नं. 249 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नं. 253 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं. 254 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नं. 255 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 549 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं. 781 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं. 783 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नं. 852 रकबा 2.87 हेक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 4.63 हेक्टर, ग्राम बडवा, तहसील अन्ता के माल में आराजी खसरा नं. 682 रकबा 1.32 हेक्टर, खसरा नं. 687 रकबा 8.75 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 10.07 हेक्टर व ग्राम बटावदी, तहसील अन्ता के माल में आराजी खसरा नं. 271 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नं. 290 रकबा 0.74 हेक्टर, खसरा नं. 529 रकबा 1.16 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.10 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 12.06.2018 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी नं. 6 ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2024/106 (प्राथमिक डिक्री) में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री विधि, व कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है, तथा पूर्व में पारित अन्तिम डिक्री दिनाक 31.07.1997 के विपरीत है, जो अवैध व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 31:07.1997 नहीं बनाने तथा डिक्री की इजराय नहीं करने से तथा 12 वर्ष हो जाने मात्र से डिक्री के विरूद्ध नई डिक्री पारित कर अपने निहित क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय किया है, जो अवैध व शून्य है। डिक्री नहीं बनाने मात्र से डिक्री निरस्त नहीं हो जाती है, इसी प्रकार डिक्री की इजराय नहीं करने से भी डिक्री समाप्त नहीं होती है। अन्तिम डिक्री दिनांक 31.07.1997 किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं की गयी है, आज भी प्रभावशील है तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 31.07.1997 में रेस्पोडेंट नम्बर 1 तथा मृतक तुलसीराम की भूमि के सम्बन्ध में परिर्वतन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व की अन्तिम

(दीक्षि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री दिनांक 31.07.1997 में दादा दौलतराम के हिस्से की भूमि जो विभाजन की अन्तिम डिक्री से दौलतराम की निजी सम्पत्ति होने से दौलतराम के स्वर्गवास होने पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 7, 8, 9 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तथा दौलतराम की निजी सम्पत्तियों में केवल मात्र उनके दोनों पुत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 व मृतक तुलसीराम के वारिसों का अधिकार होता है। दौलतराम की पोतियों का अधिकार नहीं होने से विवादित डिक्री अवैध व शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 के निर्णय में अपीलाण्ट की सहमति मानने में भारी त्रुटि की है, जबकि अपीलाण्ट ने न तो वकील नियुक्त किया, न ही जवाब दावा प्रस्तुत किया, न ही सहमति प्रस्तुत की तथा न ही न्यायालय में उपस्थित हुआ। इसी प्रकार अपीलाण्ट को डिक्री की भी जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोलतराम के हिस्से की भूमि पुश्तैनी मानने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 7, 8, 9 का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा मानने में भारी त्रुटि की है, जबकि विभाजन की अन्तिम डिक्री के बाद पुश्तैनी भूमि भी विभाजन के बाद पुश्तैनी नहीं होकर निजी हो जाती है तथा निजी भूमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के जीवन काल मे रेस्पोडेन्ट नम्बर 7, 8, 9 को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना जवाबदेही व शहादत का मौका दिये निर्णय देने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट को सूचित किये, वाद निरस्त करने के पश्चात बिना अपीलाण्ट को सूचित किये, रेस्टोर करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

अपील संख्या 2024/105 (अंतिम डिक्री) में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि तथा पत्रावली के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय को लोक न्यायालय में बिना समझौते के तथा बिना दोनों पक्षकारों की सहमति के निर्णय करने का अधिकार नहीं होने से डिक्री अवैध व प्रभावहीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध व प्रभावहीन प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 के आधार पर पारित की है, जो कानून के विपरीत होने से अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन के राजकीय नियमों की अनदेखी कर अन्तिम डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा विभाजन प्रस्ताव पर बिना आपत्ति लिये, बिना सुनवाई किये, निर्णय दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक न्यायालय में बिना सूचना के तथा बिना सुनवाई के एक तरफा पारित की है, सूचना के एक तरफा पारित किया है, तथा बिना समझौते के लोक न्यायालय में बिना सूचना के पारित किया है, जिसकी अपीलाण्टस् को जानकारी नहीं थी। भवानी शंकर उर्फ भीमशंकर राजोरा एवं उर्मिला पुत्री मूलचन्द का स्वर्गवास वाद के निर्णय के पश्चात हो गया है, इस कारण उनके वारिसान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को अपील मे पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.03.2024 को रेस्पोण्डेन्ट नम्बर–1 के बीमार होने पर रेस्पोण्डेन्ट कम–1 को अपीलाण्ट अपने पास लाने पर तथा उसके द्वारा अपीलाण्ट को निर्णय के सम्बन्ध मे बताने पर हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि प्राथमिक डिक्री व फाइनल डिक्री दोनों दावों में हम प्रतिवादी नं. 6 हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। उसके अभाव में सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. एल. डब्ल्यू. 1961 पेज 638, आर. आर. टी. 2022 (1) पेज 369, आर. आर. टी. 2022 (2) पेज 1310, डी. एन. जे. (एस. सी.) 1994 पेज 12 की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता रेस्पोडेंट नं. 1 मूलचन्द ने ग्राम बटावदा, बडवा एवं बटावदी की विवादित आराजी प्रदर्श– 1, 2 व 3 को पुश्तैनी आराजी बताते हुए इसके विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद पत्र में वादी मूलचन्द ने अंकित किया है कि वाद पत्र की मद नं. 1, 2, 3 में वर्णित विवादित आराजियात के सन्दर्भ में मूलचन्द ने पिता दौलतराम के जीवनकाल में ही पिता दौलतराम व भाई तुलसीराम के विरूद्ध दावा प्रकरण संख्या 347/92 दायर किया था, जिसका फैसला दिनांक 31.07.1997 को हुआ। दौलतराम, मूलचन्द व तुलसीराम के मध्य विवादित आराजी के विभाजन का निर्णय अदालत ने पारित किया लेकिन डिक्री नहीं बनायी गयी। निर्णय दिनांक 31.07.1997 की डिक्री बनाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश दिया कि वादी पुनः नया दावा पेश कर सकता है। वादी मूलचन्द ने वादपत्र की मद नं. 1, 2, 3 में वर्णित विवादित आराजियात के सन्दर्भ में पुनः दावा प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा है कि मद नं. 1, 2, 3 में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी नं. 1 ता 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार करार दिया जावे व इस अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। शेष 1/2 हिस्से में वादी व प्रतिवादी नं. 7 ता 9 को 4/5 हिस्से का खातेदार व प्रतिवादी नं. 6 को 1/5 का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड में इस अनुसार अमल किया जावे तथा विवादित आराजी का बंटवारा पक्षकारान के मध्य करते हुए बंटवारे में प्राप्त आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज की जावे तथा पार्टीशन स्कीम तैयार करते समय प्रकरण संख्या 347/1992 फैसला दिनांक 31.07.1997 उपजिला कलेक्टर, बारां द्वारा प्रतिवादी नं. 1 ता 5 के पिता तुलसीराम को बंटवारे में दी आराजी प्राथमिकता से प्रतिवादी नं. 1 ता 5 को दी जावे, शेष आराजी 1/2 का बंटवारा वादी व प्रतिवादी नं. 7 ता 9 व प्रतिवादी नं. 6 के मध्य मद नं. 12 के अनुसार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न ग्राम बटावदा, तहसील बारां की नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 प्रदर्श–1, ग्राम बडवा, तहसील अन्ता की नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2065 प्रदर्श–2, ग्राम बटावदी, तहसील अन्ता की नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2065 व ग्राम बटावदी नकल नामान्तरकरण रजिस्टर नामान्तरकरण संख्या 382 के अवलोकन अनुसार वाद पत्र की मद नं. 1, 2 व 3 में वर्णित आराजी दौलतराम वल्द जगन्नाथ, कोम खाती (जांगिड ब्राहमण) साकिन देह के खाते दर्ज रिकार्ड थी, जो नामान्तरकरण संख्या 382, 472 व 1429 से दौलतराम की मृत्यु के बाद वादी मूलचन्द

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हिस्सा 1/2 व मूलचन्द के मृतक भाई तुलसीराम के वारिसान पुत्र भीमशंकर, नरेशचन्द, विष्णुदत्त पुत्री कृष्ण कुमारी व बेवा रामजानकी बाई हिस्सा 1/2 के खाते दर्ज हुई है।

विवादित आराजी के सन्दर्भ में पूर्व पारित निर्णय दिनांक 31.07.1997 की नकल प्रदर्श–4 व इस निर्णय की पालना हेतु डिक्री जारी करने के क्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवायी करते हुए दिनांक 12.10.2011 को यह निर्णय पारित किया है कि उक्त वाद का प्रथम निर्णय दिनांक 15.03.1993 को कर प्राथमिक डिक्री पारित की गई एवं बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर एवं राजीनामे के आधार पर दिनांक 31.07.1997 को अंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसे लगभग 14 वर्ष से अधिक हो गये जबकि किसी भी निर्णय की पालना लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 12 वर्ष की अवधि के पूर्व ही की जा सकती है। 12 वर्ष के पश्चात निर्णय की पालना विधि विरूद्ध है। उक्त निर्णय को 14 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए अब पालना करना संभव नहीं होने से अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र वादी अवधि मध्य नहीं होने से खारिज किया जाता है किन्तु वादी पृथक से नया वाद लाने को स्वतंत्र रहेगे।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12.10.2011 के बाद वादी रेस्पोडेंट नं. 1 मूलचन्द ने अधीनस्थ न्यायालय में पुनः विवादित आराजी के सन्दर्भ में अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.11.2011 को दावा दर्ज रजिस्टर्ड करने के पश्चात दिनांक 27.02.2012 तक अपीलांट प्रतिवादी नं. 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलांट प्रतिवादी नं. 6 द्वारा अपने विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट प्रतिवादी नं. 6 वादी मूलचन्द का पुत्र होने के कारण मूलचन्द के हिस्से की 1/2 आराजी में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2012 से विवादित आराजी में प्रतिवादी 1 ता 5 को 1/2 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्से में वादी मूलचन्द पुत्र दौलतराम एवं प्रतिवादी नं. 7 से 9 को 4/5 तथा अपीलांट प्रतिवादी नं. 6 सत्येन्द्र प्रकाश उर्फ सत्यनारायण राजोरा पुत्र मूलचन्द को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। प्रस्तुत दावा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी मूलचन्द के एक पुत्र अपीलांट प्रतिवादी नं. 6 व तीन पुत्रियां प्रतिवादी नं. 7 ता 9 होना स्पष्ट है। अतः मूलचन्द के हिस्से की 1/2 आराजी में अपीलांट का विधिवत रूप से 1/5 हिस्सा निहित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री दिनांक 28.12.2012 पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुरूप होने से विधि सम्मत प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 12.06.2018 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प बटावदा में तहसील बारां से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पक्षकारों को लोक अदालत कैम्प कोर्ट बटावदा में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी करने की पुष्टि नहीं होती। पत्रावली की आदेशिका पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव पर भी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की अनुपस्थिति में पक्षकारान को सुने बिना ही निर्णय पारित किया है, जो लोक अदालत की विधिक भावना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2024/106 (प्राथमिक डिक्री) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 यथावत रखा जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2024/105 (अंतिम डिक्री) आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.06.2018 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.08.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

सतेन्द्र प्रकाश उर्फ सत्यनारायण राजोरा आत्मज श्री मूलचन्द जी राजोरा, हाल निवासी 43 सत्यशील भवन, विश्वकर्मा नगर 80 फीट रोड, कोटा (राज०)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. मूलचन्द आत्मज श्री दौलतराम राजोरा हाल निवासी विश्वकर्मा नगर 80 फीट रोड, कोटा (राज०)
2. रामजानकी विधवा तुलसीराम जांगीड़, निवासीगण 89, राजोरा निवास तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
3. भवानीशंकर उर्फ भीमशंकर राजोरा (फोत फरवरी 2024) जर्ये कायम मुकामान:–
   3/1–मंजूबाई विधवा भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
   3/2–उमेश राजोरा आत्मज श्री भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
   3/3–टंडन राजोरा आत्मज श्री भीमशंकर उर्फ भवानीशंकर जांगीड 89, राजोरा निवासी तिलक नगर, छावनी चौराहा, कोटा (राज०)
4. नरेशचन्द्र राजोरा आत्मज स्व० तुलसीराम राजोरा, निवासी 89,राजोरा निवास छावनी चौराहा कोटा (राज०)
5. कृष्णा पुत्री तुलसीराम विधवा सत्यनारायण जांगीड (गमीरावाले), निवासी रविन्द्र कोलोनी नेनवा, जिला बून्दी (राज०)
6. विष्णुदत्त राजोरा आत्मज तुलसीराम जांगीड, निवासी 89 राजोरा, निवासी छावनी चौराहा कोटा (राज०)
7. विमलेश पुत्री मूलचन्द पत्नी मुकुट बिहारी जांगीड़, निवासी टीचर कोलोनी, केशोपुरा, कोटा (राज०)
8. विजयलक्ष्मी पुत्री मूलचन्द पत्नी प्रहलाद शर्मा, निवासी गोकुलधाम कोलोनी, नीमच, (मध्य प्रदेश)
9. उर्मिला पुत्री मूलचन्द पत्नी रविशंकर अगस्थ (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
   9/1 सोनू अगस्थ आत्मज रविशंकर
   9/2 पवन अगस्थ आत्मज श्री रविशंकर अगस्थ, निवासीगण म० न० 169 महावीर नगर सैकण्ड कोटा (राज०)
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बारां व अन्ता जिला बारां (राज०)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2024/106**
मु.द.नं० **138/2011**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – **28.12.2012**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **23 माह 06** सन् **2025**

उपस्थित **श्री जगदीश नन्दवाना** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2024/106 (प्राथमिक डिक्री) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.12.2012 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **21 माह 07 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)